SUBMISSION OF MINOR RESEARCH

REPORT

TO

UNIVERSITY GRANT COMMISSION

CENTRAL REGIONAL OFFICE

TAWA COMPLEX (BITTAN MARKET)

E-S, ARERA COLONY , BHOPAL – 16

F.NO.MH-164/107031/X11/14-15 CRO

SUBMITTED BY

DR. MANOJ MALVIYA

ASST. PROFESSOR (COMMERES)

S.K.P COLLEGE DEWAS (M.P)

AFFILATED UNIVERSITY

VIKRAM VISWAVIDYALAYA UJJAIN (M.P)

Final Report

1.	Name and address of the principal investigar	–	डॉ. मनोज मालवीय सहा.प्रा. (वाणिज्य) श्री कृ. प. शा. स्नातकों. महाविद्यालय देवास (म.प्र.)
2.	Name and address of the institution	–	श्री कृ. प. शा. स्नातकों. महाविद्यालय देवास (म.प्र.)
3.	UGC approval No. & Date	–	F.NO.MH-164/107031/X11/14-15 CRO 8 Feb. 2015
4.	Date of implementation	–	11.5.2015
5.	Tenure of the project	–	दो वर्ष
6.	Title of the project	–	''मनरेगा की समाज के गरीब तबको के बेरोजगारी उन्मूलन में भूमिका'' (देवास जिले के विशेष संदर्भ में)

7. Objectives of the project

देवास जिले के गरीब तबकों के आर्थिक स्तर एवं रोजगार के अवसर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के योगदान का अध्ययन करना है इस हेतु शोधार्थी द्वारा अपने शोध हेतु कुछ उद्देश्य निर्धारित किए है वे इस प्रकार है–

- देवास जिले में योजना के क्रियान्वयन एवं कार्य–निष्पादन की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है।

- योजना के अंतर्गत अकुशल बेरोजगार युवक – युवतियों को 100 दिवसीय रोजगार गारंटी की उपलब्धता का अध्ययन करना है।
- योजना के माध्यम से स्थायी संपदाओं का निर्माण करना।
- हितग्राहियों के जीवन स्तर पर इस योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है।
- योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं एवं समाधान का अध्ययन करना है।

8. Whether objectives were achieved (Give details)

ग्रामीण विकास में सहायक इस योजना के देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए प्रस्तुत शोध अध्ययन के उददेश्य अग्रलिखित है।

1. **देवास जिले में योजना के क्रियान्वयन एवं कार्य निष्पादन की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।**

तालिका क्र. 4.15 योजना के सफल एवं नियोजित क्रियान्वयन एवं कार्य निष्पादन में देवास जिले में वर्ष 2015–16 में 4827 कार्य प्रारंभ हुए एवं 1735 कार्य पूर्ण हुए वर्ष 2016–17 में 859 कार्य प्रारंभ हुए एवं 94 कार्य पूर्ण हुए शेष कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2016–17 में 105613 परिवारों को जॉब–कार्ड़ जारी किये गये 25403 परिवारों द्वारा रोजगार की माँग की गयी जिसमें से 20181 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। 4398 अ.जा. एवं 3943 अ.ज.जा. परिवारों को वर्ष 2016–17 के दौरान रोजगार प्रदान किया गया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन से यह सिद्व होता है कि उक्त उददेश्य पूर्ण होता है।

2. **योजना के अंतर्गत अकुशल बेरोजगार युवक युवतियों को 100 दिवसीय रोजगार गारंटी की उपलब्धता का अध्ययन करना।**

तालिका क्र. 4.8 योजना के अंतर्गत शासन के द्वारा प्रत्येक हितग्राही को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाये। वर्ष 2016–17 में कुल 427 परिवारों को 100 रोजगार प्रदान किया गया जिसमें वर्ष 2016–17 में योजना के अंतर्गत 83 अ.जा., 68 अ.ज.जा. एवं 276 अन्य परिवारों द्वारा 100 मानव दिवस रोजगार प्रदान किया गया। सिद्व होता है कि उक्त उददेश्य की पूर्ति हुई है।

3. योजना के माध्यम से स्थाई संपदाओं का निर्माण करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी व्यर्थ हो रहा था, उसे उपयोगी बनाने के उददेश्य से उसके लिये गडढे खुदवाकर मुडेर बनवाकर, पानी का संरक्षण किया गया तथा बरसात के पानी को भी संरक्षित करने की व्यवस्था की गई। किसानों के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई सुविधा का प्रावधान कुएँ खुदवाकर, तालाब बनवाकर किया, जो बंजर अनुपजाउ जमीन थी उसके विकास पर व्यय किया व सड़क संपर्कता एक गाँव से दुसरे गाँव जोड़ने के लिए ताकि यातायात साधन सुगम हो जाए, लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहर न जाना पडे इसी तरह गाँव के विकास के लिए इस योजना के द्वारा कई कार्य कराए गए। इस योजना का उददेश्य सिर्फ ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का टिकाउ सृजन करना भी है ताकि वे खुद की खेती कर सके व उन्हें 12 महीने रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।

तालिका क्र. 4.18 व 4.19 वर्ष 2016–17 में जल संरचना हेतु 188, जल संरचनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्वार अंतर्गत 178 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये नलकुप कुएँ के 315, **तालिका क्र. 4.20** सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु 119 कि.मी. लंबाई के कार्य स्वीकृत किए गए। सिद्व होता है कि उक्त उददेश्य की पूर्ति हुई है।

4. हितग्राहियों के जीवन स्तर पर इस योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

तालिका क्र. 4.13 के अनुसार उक्त योजना के देवास जिले में आने के पश्चात श्रम की दर में रूपये 63 से रू. 177 तक की वृद्वि देखी गई है। 2006–07 में 63 से बढकर 85 रू. 2008–09 में 91 रू. 2009–10 में 100 रू. एवं मजदूरी दर बढ़कर 2014–15 में 177 रू. हो गई है जो कि एक ग्रामीण की उसके श्रम के बदले मोलभाव करने की क्षमता में एवं उसके आर्थिक स्तर में सुधार का सूचक है। मजदूरी बढ़ने से गाँव में ही रोजगार उपलब्ध होने से पलायन नहीं करने से एवं महिलाओं द्वारा भी कार्य करने से श्रमिक अपने परिवारों एवं बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे पा रहे है। आर्थिक स्तर में सुधार होने से भी हितग्राहियों के जीवन स्तर उँचा उठा है। अध्याय क्र. चतुर्थ से **तालिका क्र. 4.35** प्रश्नावली अवलोकन से भी उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हुई है। अधिकतर लोगों ने स्वीकारा है कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सिद्व होता है कि उक्त उदेदश्य की पूर्ति हुई है।

5. **योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं एवं समाधान का अध्ययन करना।**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के शोध के दौरान योजना से संबंधित कुछ समस्याओं को अनुभव किया है जिसका समाधान सहित वर्णन अध्याय क्रमांक पंचम में किया गया है। मनरेगा के कुछ ऐसे पहलू है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। सिद्व होता है कि उक्त उददेश्य की पूर्ति हुई है।

9. Achievements from the project

इस शोध परियोजना की उपलब्धियों पर विचार इस दृष्टि से किये जाने की आवश्यकता है यदि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामवासियों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम रही तो निश्चय ही वह दिन दूर नहीं जब भारत देश भी अन्य देशों की भाँति विकास की चरम सीमा को छू पाएगा। अतः यदि आधार मजबूत होगा तो निश्चय ही उस पर निर्मित होने वाली दीवारें भी मजबूत होगी। इस संदर्भ में यह शोध प्रबंध एक विचार विमर्श आरंभ करता है यदि आने वाले समय में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समाज के हित में निरन्तर कार्य करें एवं विकास के सभी सौपानों को प्राप्त करने में केन्द्र व राज्य शासन की उपयुक्त सहायता करें।

परियोजना के फलस्वरूप दो शोध आलेखों का प्रकाशन हुआ है, जिनकी सूची अलग से संलग्न है।

मनरेगा का लाभ सिर्फ इन्ही अर्थो में है कि जिसके पास काम नहीं है उन्हें यह रोजगार उपलब्ध कराता है लेकिन मनरेगा का प्रभाव इससे बहुत आगे तक पडता है। बहुत सारे मामलों में यह वास्तव में सामाजिक बदलाव का प्रमुख औजार बन गया है।

10. Summary of the project

मनरेगा देश के 626 जिलो में लागू है । ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मनरेगा पिछले दशक में भारत सरकार की बहुत ही क्रांतिकारी योजनाओं में से एक है । यह भारत के ग्रामीण परिवारों की 25 फीसदी आबादी कों रोजगार उपलब्ध कराता है । अपने कानूनी

ढॉचे और अधिकार आधारित दृष्टिकोंण के साथ मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष मे 100 दिनो की मजदूरी की गारंटीवाला रोजगार उपलब्ध कराने के जरिये उनकी आजीविका को बढाना है । इन ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य स्वैच्छिक गैर – प्रशिक्षित हाथ का कार्य करते है । मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को अनुमानित 1.28 लाख करोड़ रू सीधे मजदुरी भुगतान के रूप मे दियें जा चुके है और वर्ष 2008 से हर साल करीब 5 करोड परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मनरेगा के अंतर्गत लगभग 25 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को 40–50 दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ है। इससे गरीबों, वंचित परिवारों, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वर्गो को मुख्य रूप से फायदा हुआ हैं । इस योजना के अंतर्गत सृजित कुल कार्य दिवसों में 50 प्रतिशत कार्य दिवस महिलाओं को उपलब्ध हुए है । मनरेगा योजना से गरीबी निवारण में काफी मदद मिली है फिर भी कार्य उपलब्ध कराने, मजदुरी के भुगतान मे विलंब तथा इंजीनियरिंग स्टॉफ की कमी इस योंजना की प्रमुख खामियां रही है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संचालन के कारण हम एक समतायुक्त समाज एवं देश की रचना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे है। क्योंकि प्रस्तुत योजना मे इस बात पर बल दिया गया है कि रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार के प्राथमिक रूप से महिला सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। प्रस्तुत योजना के तहत देवास जिले मे 2015–16 में कुल 929661 व्यक्ति श्रम कार्य दिवस उत्सर्जित किये जा चुके है एवं इस अवधि में लगभग 405972 महिला व्यक्ति श्रम कार्य दिवस उत्सर्जित किये गए है।

वर्ष 2015–16 के दौरान देवास जिले में कृषि श्रम की दर रूपये 177 की सीमा तक पहुच गई जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभाव में आने के पूर्व वर्ष 2005–06 में कृषि श्रम की यह दर लगभग रूपये 58 थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत देवास जिले में हितग्राहियों को श्रम के प्रतिफल के रूप में 2015–16 मे रूपये 18684 करोड़ वितरित किये जा चुके है जो हितग्राहियों के क्रय शक्ति में वृद्वि का सुचक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शासन इस बात का वचन देता है कि हितग्राही परिवार को न्युनतम 100 व्यक्ति श्रम कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाए जिसके तहत वर्ष 2015–16 में देवास जिले में 1364 लाख परिवारों को न्युनतम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विशेषता यह भी देखी गई है कि रोजगार निरंतर जारी रहे इस हेतु संबंधित ग्रामीण क्षैत्र में आधारभूत संरचना का भी विकास किया जाये जिसके तहत वर्ष 2015–16 में कुल 1735 कार्य पूर्ण किये गए है। परिसम्पतियों का निर्माण किया गया है जो कि देवास जिले के ग्रामीण क्षैत्रों के आधारभूत संरचना के विकास का परिचायक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के देवास जिले प्रभाव में आने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीण निवासी दोनों ही की आर्थिक प्रगति में अभुतपूर्व योगदान प्रदान किया है।

11. Contribution to the society

शोध कार्य के उद्देश्यों की सार्थकता को बनाए रखने के लिये उसका महत्व तथा उपयोगिता का जानना अत्यंत आवश्यक है,अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शोध कार्य करते समय विषय के महत्व तथा उसकी उपयोगिता का ध्यान में रखा जाये जिससे कि शोध प्रबंध को सम्पूर्णता प्रदान की जा सके एवं राष्ट्र, संबंधित विभाग, संस्था अथवा उपक्रम को शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों के द्वारा विभिन्न रूपों में लाभान्वित किया जा सके।

मेरा प्रयास रहेगा कि म. प्र. राज्य के देवास जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर योजना के लाभों को विभिन्न ग्रामीणों तक पहुँचाने में मदद मिले। जो ग्रामीण परिवार प्रस्तुत योजना से अनभिज्ञ है, शोध में प्रस्तुत सुझावों व निष्कर्षों से इनका लाभ उठा सकें। साथ ही यदि प्रस्तुत रोजगार योजना का उचित क्रियान्वयन किया जाता है तो देश व समाज के आर्थिक स्तर में भी सुधार आ सकेगा। अतः मेरे द्वारा किया जाने वाला शोध कार्य निश्चित ही समाज के लिए उपयोगी सिद्व होगा। यह सर्वविदित है कि शासन द्वारा साधारण व्यक्ति विशेषतः

वंचित वर्गो, निर्धनों तथा ग्रामीण परिवारों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते है। शासन के द्वारा जनता की सेवा बेहतर ढंग से करने के लिए कई विभाग बनाए गये है।

समस्त विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं विशेषतः रोजगार योजनाओं की विश्लेषणात्मक जानकारी कर्मचारियों तक पहुंचाने में यह शोध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रत्येक विभाग के कार्यकर्ता, कर्मचारी एवं अधिकारी इस शोध को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझकर उचित रूप से क्रियान्वित करते समय इसका उपयोग कर सकते है। प्रस्तुत शोध का उपयोग कई प्रकार से हो सकता है, जैसे किसी योजना में कर्मचारी स्वयं के द्वारा कुछ भूमिका अदा की जानी है तो उस भूमिका को अच्छा तरह समझने के पश्चात् उसका निर्वहन सफलतापूर्वक किया जा सके, यह पहली एवं सबसे बड़ी अनिवार्य उपयोगिता है। इस शोध को पढ़ते समय कुछ कर्मचारियों को योजनाओं के अंतर्निहित भावों को समझने में उन्हें सहायता मिलेगी। इतना तो अवश्य होगा कि योजना को लागू करने में क्या–क्या कमियाँ रही, इनमें किस प्रकार से सुधार किये जा सकते है आदि। यह जानने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य उपयोगिता और होगी कि यदि कर्मचारी व कार्यकर्ता जो इस योजना से संबंधित नहीं है वे भी इस शोध का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे एवं इस पर विचार करेगे तो पाएगें कि किस प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन देश व राज्य में किया जा रहा है, जिससे कि देश व राज्य के ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान किया जा सके।

जो स्वयंसेवी संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के साथ जुड़कर कार्य कर रही है उन्हें भी इस शोध के जरिए एक रूप में विभिन्न योजनाओं को सकारात्मक रूप देने एवं उनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्गो व गरीबों को दिलाने में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

12. No. of publications out of the project – 02

(Please attach reprints)

(Principal Investigator) **(Principal)**